

अध्याय 5

लोकतन्त्र



1. लोकतन्त्र—अर्थ एवं विभिन्न प्रकार (Meaning and Various Forms of Democracy)

(A) लोकतन्त्र का अर्थ (Meaning of Democracy)



अंग्रेजी शब्द 'Democracy' का हिन्दी अनुवाद है— 'लोकतन्त्र', 'जनतन्त्र' अथवा 'प्रजातन्त्र'। अंग्रेजी शब्द 'Democracy' ग्रीक भाषा के दो शब्दों 'डेमोस' (Demos) तथा 'क्रेटिया' (Kratia) के संयोग से बना है। यद्यपि 'डेमोस' का मूल अर्थ है 'भीड़', किन्तु आधुनिक काल में इसका अर्थ 'जनता' से लिया जाने लगा है, और 'क्रेटिया' का अर्थ है 'शक्ति'। इस प्रकार शब्दार्थ की दृष्टि से 'डेमोक्रेसी' का अर्थ है 'जनता की शक्ति'। अतः 'डेमोक्रेसी' का अर्थ है जनता की शक्ति पर आधारित शासनतन्त्र। इसमें तीन अन्तः संबंधित अर्थ निहित हैं—

- (1) यह निर्णय लेने की एक विधि है
- (2) यह निर्णय लेने के सिद्धान्तों का एक समूह है तथा
- (3) यह आदर्शात्मक मूल्यों से संबंधित अवधारणा है।

आधुनिक काल में लोकतन्त्र को केवल शासन का एक रूप ही माना जाता है। बर्न्स के अनुसार, “लोकतन्त्र एक ऐसा शब्द है जिसके अनेक अर्थ है और इसके साथ भावनात्मक अर्थ भी जुड़ा है।” लोकतन्त्र के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए जरुरी है कि हम उसके विभिन्न रूपों से जुड़ी अवधारणाओं से परिचित हों।

(B) लोकतन्त्र के विभिन्न रूप (Various forms of Democracy)

आधुनिक काल में लोकतन्त्र के प्रमुख रूपों एवं उनसे संबंधित अवधारणाओं को निम्नलिखित रूप में स्वीकार किया जाता है—

- (1) राजनीतिक लोकतन्त्र,
- (2) सामाजिक लोकतन्त्र,

(3) आर्थिक लोकतन्त्र,

(4) नैतिक लोकतन्त्र।

(1) राजनीतिक लोकतन्त्र— राजनीतिक लोकतन्त्र को अतीत में व्यक्तिवादी लोकतन्त्र कहा जाता था, किन्तु आधुनिक युग में इसे उदारवादी लोकतन्त्र कहा जाता है। आधुनिक युग में राजनीतिक लोकतन्त्र की उत्पत्ति पश्चिमी देशों में हुई है, अतः इसे कभी —कभी पश्चिमी लोकतन्त्र भी कहा जाता है। मार्क्सवादियों ने इसे पूँजीवादी लोकतन्त्र कहना पसन्द किया है।

उदारवादी विचारकों ने समस्त राजनीतिक लोकतन्त्र के दो रूपों का उल्लेख किया है—

(i) राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतन्त्र, तथा

(ii) शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतन्त्र।

राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतन्त्र का अर्थ लोकतान्त्रिक राज्य (Democratic State) से है। लोकतान्त्रिक राज्य की अवधारणा के अनुसार प्रभुसत्ता का निवास जनता में होता है और इसलिए जनता को सरकार के निर्माण, उसके नियंत्रण तथा उसको पदच्युत करने की पूर्ण व अन्तिम शक्ति भी प्राप्त होती है।

शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतन्त्र का अर्थ लोकतान्त्रिक शासन से है। वास्तव में लोकतान्त्रिक शासन की अवधारणा लोकतान्त्रिक राज्य की अवधारणा के सैद्धान्तिक पक्ष का ही विकसित एवं व्यावहारिक रूप है। यह उल्लेखनीय है कि राजनीतिक लोकतन्त्र से संबंधित ये दोनों अवधारणाएं कानूनी प्रभुसत्ता पर राजनीतिक प्रभुसत्ता की श्रेष्ठता को स्वीकार करती हैं। संक्षेप में, ये दोनों मानती हैं कि राजनीतिक प्रभुसत्ता द्वारा कानूनी प्रभुसत्ता पर नियंत्रण किया जाना चाहिए।

राजनीतिक लोकतन्त्र के एक अंग के रूप में लोकतान्त्रिक शासन के दो उपभेद हैं—

(1) प्रत्यक्ष अथवा शुद्ध लोकतन्त्र

(2) अप्रत्यक्ष अथवा प्रतिनिधि लोकतन्त्र

यह उल्लेखनीय है कि आधुनिक युग में प्रतिनिधि लोकतन्त्र के भी मुख्यतः दो रूप प्रचलित हैं—

(1) संसदीय लोकतन्त्र

(2) अध्यक्षात्मक लोकतन्त्र।

लोकतान्त्रिक राज्य एवं लोकतान्त्रिक शासन अर्थात् सम्पूर्ण राजनीतिक लोकतन्त्र की कुछ आधारभूत मान्यताएं हैं, जैसे—

- (1) राजनीतिक लोकतन्त्र उदारवादी संविधानवाद में विश्वास करता है।
- (2) यह प्रभुसत्ता का निवास जनता में मानता है।
- (3) राजनीतिक लोकतन्त्र का सैद्धान्तिक पक्ष लोकतान्त्रिक राज्य है और इसका व्यावहारिक पक्ष लोकतान्त्रिक शासन है।
- (4) जनता शासन (सरकार) को नियुक्त करती है, उस पर नियंत्रण करती है तथा उसे हटा भी सकती है।
- (5) राजनीतिक लोकतन्त्र स्वयं में साध्य नहीं होता है, अपितु लोकतान्त्रिक साध्यों एवं मूल्यों की प्राप्ति का साधन होता है।

(2) सामाजिक लोकतन्त्र –

समाज के एक प्रकार के रूप में लोकतन्त्र को 'सामाजिक लोकतन्त्र' कहा जाता है। सामाजिक लोकतन्त्र का एक प्रमुख लक्ष्य है— सामाजिक समता की भावना। संक्षेप में, सामाजिक लोकतन्त्र का अर्थ है कि समाज में नस्ल, रंग (वर्ण), जाति, धर्म, भाषा, लिंग, धन, जन्म आदि के आधार पर व्यक्तियों के बीच विभेद नहीं किया जाना चाहिए और सभी व्यक्तियों को, व्यक्ति के रूप में, समान समझा जाना चाहिए। हर्नशा के अनुसार, "लोकतान्त्रिक समाज वह है, जिसमें समानता के विचार की प्रबलता हो तथा जिसमें समानता का सिद्धान्त प्रचलित हो।"¹ सामाजिक लोकतन्त्र की अवधारणा मुख्यतः सामाजिक समानता के अधिकार पर जोर देती है। इसका सामान्य अर्थ यही है कि सभी व्यक्तियों को समाज में समान महत्व प्राप्त होना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को अन्य किसी भी व्यक्ति के सुख का साधन मात्र नहीं समझा जाना चाहिए। व्यवहार में सामाजिक लोकतन्त्र की स्थापना के लिए दो बातें आवश्यक हैं—

- (1) धर्म, जाति, नस्ल, भाषा, लिंग, धन आदि के आधार पर समाज में मौजूद विशेषाधिकारों की व्यवस्था का अन्त किया जाये।
- (2) सभी व्यक्तियों को सामाजिक प्रगति के समान अवसर प्रदान किये जायें।

(3) आर्थिक लोकतन्त्र –

अर्थव्यवस्था के एक प्रकार के रूप में लोकतन्त्र को 'आर्थिक लोकतन्त्र' कहा जाता है। वर्तमान सदी में आर्थिक

लोकतन्त्र का विचार मार्क्सवादियों एवं समाजवादियों ने प्रस्तुत किया है। 18वीं व 19वीं सदी में व्यक्तिवादियों ने भी आर्थिक क्षेत्र में लोकतन्त्र की चर्चा की थी, जो मार्क्सवादियों व समाजवादियों के आर्थिक लोकतन्त्र से सर्वथा भिन्न एवं विपरीत है।

(4) नैतिक लोकतन्त्र –

कुछ विद्वानों ने लोकतन्त्र को एक नैतिक व आध्यात्मिक जीवन-दर्शन के रूप में स्वीकार किया है। लोकतन्त्र के प्रति इस नैतिक दृष्टिकोण को ही नैतिक लोकतन्त्र कहा जाता है। नैतिक लोकतन्त्र समस्त लोकतान्त्रिक दर्शन का व्यावहारिक रूप है, जिसमें मानव-मूल्यों को ही समाज व शासन का मूल आधार माना जाता है। इस रूप में नैतिक लोकतन्त्र की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति सन् 1789 की फ्रांस की उदार लोकतन्त्रवादी क्रांति 'स्वतन्त्रता, समानता व भाई-चारे' के नारे के रूप में हुयी थी। इन तीनों में 'भाई-चारे' (बन्धुत्व) का विशेष महत्व है, क्योंकि इसके बाहर व्यक्तियों में समानता नहीं हो सकती है और समानता नहीं होगी, तो स्वतन्त्रता भी नहीं पायी जा सकती है।

2. लोकतन्त्र सम्बन्धी विभिन्न सिद्धान्त एवं दृष्टिकोण (Various Theories and Concepts of Democracy)

लोकतन्त्र स्वयं में एक विस्तृत विचारधारा है और विद्वानों में इस तथ्य पर मतभेद है कि लोकतन्त्र में सत्ता का वास्तविक उपभोग कौन करता है, अथवा सत्ता का वास्तविक उपभोग किस वर्ग के द्वारा किया जाना चाहिए, शासक व शासित वर्ग में किस प्रकार के सम्बन्ध होते हैं और लोकतन्त्र की मूल्य-व्यवस्था क्या होनी चाहिए? इस प्रकार के चिंतन के परिणामस्वरूप लोकतन्त्र के विभिन्न सिद्धान्त एवं दृष्टिकोण प्रस्तुत किये गए हैं, जैसे—

- (i) लोकतन्त्र का परम्परागत उदारवादी सिद्धान्त एवं दृष्टिकोण
- (ii) लोकतन्त्र का बहुलवादी सिद्धान्त एवं दृष्टिकोण
- (iii) लोकतन्त्र का विशिष्ट वर्गीय (अभिजन वर्गीय) सिद्धान्त एवं दृष्टिकोण
- (iv) लोकतन्त्र का मार्क्सवादी सिद्धान्त एवं दृष्टिकोण
- (v) लोकतन्त्र का समाजवादी सिद्धान्त एवं दृष्टिकोण

(i) लोकतन्त्र का परम्परागत उदारवादी सिद्धान्त एवं दृष्टिकोण (The Traditional Liberal Theory and Concept of Democracy) –

लोकतन्त्र के इस सिद्धान्त का विकास पश्चिमी जगत में पिछली तीन शताब्दियों के उदारवादी राजनीतिक चिंतन द्वारा

किया गया है। इसे अक्सर लोकतन्त्र का पश्चिमी सिद्धान्त अथवा लोकतन्त्र का लोकप्रिय सिद्धान्त भी कह दिया जाता है। हॉब्स, लॉक, रूसो, बैन्थम, जे.एस. मिल., टी.एच.ग्रीन, मांण्टेस्क्यू अब्राहम लिंकन, जैफरसन, हरबर्ट स्पैसर आदि लोकतन्त्र के परम्परागत उदारवादी सिद्धान्त के प्रमुख विचारक माने जाते हैं। इन सभी विद्वानों ने व्यक्ति के सुख, स्वतंत्रता एवं अधिकार आदि के संदर्भ में अपने लोकतन्त्र संबंधी विचार प्रस्तुत किये हैं।

लोकतन्त्र के परम्परागत उदारवादी सिद्धान्त की आधारभूत मान्यतायें एवं लक्षण निम्नलिखित हैं—

- (1) व्यक्ति बुद्धिमान प्राणी है, अतः अपना हित—अहित समझने की क्षमता रखता है।
- (2) सभी व्यक्ति मनुष्य है और इस नाते उनमें न्यूनतम तर्क बुद्धि एवं संवेदनशीलता होने के कारण वे सभी मूलतः समान हैं।
- (3) शासन का गठन उदारवादी एवं लोकतान्त्रिक संविधानवाद के अनुसार होना चाहिए अर्थात् सीमित शासन के सिद्धान्त का पालन किया जाना चाहिए।
- (4) शासन (सरकार) की शक्ति का आधार 'जनता की इच्छा' होती है, अतः सरकार राजनीतिक सत्ता की मात्र न्यासी (ट्रस्टी) होती है।
- (5) शासन के संचालन के निश्चित एवं आधारभूत नियम हैं, जैसे—(अ) शासन का संचालन जनता द्वारा (जनता के प्रतिनिधियों द्वारा) किया जाना चाहिए, (ब) शासन के गठन एवं संचालन में बहुमत के सिद्धान्त का पालन किया जाना चाहिए, (स) शासन को जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, तथा (द) शासन का उद्देश्य व्यक्ति का हित होना चाहिए।
- (6) व्यक्ति को नागरिक स्वतन्त्रताएं व अधिकार प्राप्त होने चाहिए तथा इनकी रक्षा के लिए स्वतन्त्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की जानी चाहिए।
- (7) निश्चित अवधि के बाद स्वतन्त्र व निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए और एक से अधिक राजनीतिक दल होने चाहिए।
- (8) लोकतन्त्र में निर्णय बहुमत से लिया जाता है, किन्तु इस प्रक्रिया में अल्पमत के प्रति पूरी सहिष्णुता बरती जाती है। बहुमत का निर्णय अल्पमत पर बल प्रयोग से थोपा नहीं जाता, बल्कि समझा—बुझा कर मनवाया जाता है। यही तत्व लोकतन्त्र को बहुसंख्यकवादी तानाशाही से अलग करता है।

(ii) लोकतन्त्र का बहुलवादी सिद्धान्त एवं दृष्टिकोण (The Pluralist Theory and Concept of Democracy)—

लोकतन्त्र के बहुलवादी सिद्धान्त एवं दृष्टिकोण का

मूल आधार बहुलवादी विचारधारा है, जो समाज के संघात्मक स्वरूप में विश्वास करती है। लोकतन्त्र के इस सिद्धान्त का विकास एच.जे.लास्की, अर्नेस्ट बार्कर, मिस फॉलेट, जी.डी.एच. कोल, डिग्वी आदि ने किया है। द्वितीय विश्व—युद्ध के बाद राबर्ट डहल ने भी इसके विकास में योगदान दिया। उसने बहुलवादी लोकतन्त्र को 'बहुलतन्त्रवाद' कहना पसन्द किया है। राबर्ट प्रिस्थस के अनुसार "लोकतन्त्र का बहुलवादी सिद्धान्त एक ऐसी सामाजिक—राजनीतिक प्रणाली है, जिसमें राज्य की शक्ति में अनेक निजी समूह तथा हित समूह अपनी भागीदारी निभाते हैं।"

(iii) लोकतन्त्र का विशिष्ट वर्गीय (अभिजन वर्गीय) सिद्धान्त एवं दृष्टिकोण (The Elitist Theory and Concept of Democracy)—

लोकतन्त्र के इस सिद्धान्त की सम्पूर्ण विचारधारा का केन्द्र अभिजन वर्ग है। इस सिद्धान्त का प्रतिपादन करने वाले प्रमुख विचारक हैं— राबर्ट मिचेल्स, मोस्का, पैरेटो, बर्नहम, सी. राइट मिल्स आदि। राबर्ट मिचेल्स एक जर्मन विचारक हैं और उसने अपने विचार 'दी पॉलिटिकल पार्टीज' (The Political Parties) नामक ग्रन्थ में प्रस्तुत किये हैं। मोस्का इतालवी विद्वान् है, जिसने अपने विचार 'दी रूलिंग क्लास' (The Ruling Class) नामक कृति में प्रस्तुत किये हैं।

(iv) लोकतन्त्र का मार्क्सवादी सिद्धान्त एवं दृष्टिकोण (The Marxist Theory and Concept of Democracy)—

लोकतन्त्र का मार्क्सवादी सिद्धान्त लोकतन्त्र के एक विशिष्ट रूप को प्रस्तुत करता है, जो अपनी प्रकृति से एक प्रकार का आर्थिक लोकतन्त्र है किन्तु मार्क्सवादियों ने इसे 'जनवादी लोकतन्त्र (People's Democracy)' कहना पसन्द किया है। मार्क्सवादी लोकतन्त्र का मूल विचार कार्लमार्क्स तथा फ्रेडरिक एंजल्स की विचारधारा में दिखायी पड़ता है और इसे व्यावहारिक रूप लेनिन, स्टालिन, माओ त्से तुंग आदि ने दिया है।

(v) लोकतन्त्र का समाजवादी सिद्धान्त एवं दृष्टिकोण (The Socialist Theory and Concept of Democracy)—

लोकतन्त्र का समाजवादी सिद्धान्त लोकतन्त्र के उदारवादी सिद्धान्त तथा मार्क्सवादी सिद्धान्त के समन्वय से बना सिद्धान्त है। यह उदारवादी लोकतन्त्र में निहित व्यक्ति की राजनीतिक स्वतन्त्रता तथा मार्क्सवादी लोकतन्त्र में निहित आर्थिक समानता के आदर्शों को एक साथ ही प्राप्त करना चाहता है। लोकतन्त्र का समाजवादी सिद्धान्त लोकतन्त्र के जिस स्वरूप पर बल देता है, उसे प्रायः लोकतान्त्रिक समाजवाद

भी कहा जाता है। यह सिद्धान्त क्रान्ति एवं हिंसा के साधनों के स्थान पर विकासवादी एवं संवैधानिक साधनों में विश्वास करता है। इसके अनुसार संसदीय व्यवस्था वाले उदारवादी लोकतन्त्र के माध्यम से व्यक्ति की राजनीतिक स्वतन्त्रता की रक्षा भी संभव है और इसके द्वारा आर्थिक समानता के आदर्श को भी प्राप्त किया जा सकता है।

3. लोकतान्त्रिक शासन के प्रकार

(Kinds of Democratic Government)

सम्पूर्ण उदारवादी लोकतन्त्र तथा इससे संबंधित लोकतान्त्रिक शासन प्रणालियों के दो प्रमुख प्रकार स्वीकार किये जाते हैं— (A) प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतन्त्र (Direct or Pure Democracy); तथा (B) अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतन्त्र (Indirect or Representative Democracy)।



(A) प्रत्यक्ष लोकतन्त्र (Direct Democracy)

प्रत्यक्ष लोकतन्त्र के अन्तर्गत जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से राज्य की प्रभुत्व शक्ति का पूर्ण प्रयोग करती है। वह नीति संबंधी फैसले लेती है, कानून बनाती है तथा प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त करती है। हर्नशा का कथन है, “वास्तविक अर्थ में लोकतान्त्रिक शासन एक ऐसा शासन है जिसमें सम्पूर्ण जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से, बिना कार्यवाहकों या प्रतिनिधियों के, प्रभुसत्ता का प्रयोग करती है। हर्नशा का यह मत प्रत्यक्ष लोकतन्त्र पर पूरी तरह से लागू होता है। यह उल्लेखनीय है कि इस प्रकार की प्रत्यक्ष लोकतान्त्रिक शासन—व्यवस्था प्राचीन यूनान के नगर—राज्यों में पायी जाती थी और वर्तमान में पूरी दुनिया में केवल स्विट्जरलैण्ड के पाँच कैण्टनों (प्रान्तों) में पायी जाती है। वस्तुतः प्रत्यक्ष लोकतान्त्रिक शासन की व्यवस्था केवल छोटे तथा कम जनसंख्या वाले राज्यों में ही संभव है, किन्तु वर्तमान काल में अधिकांश राज्य आकार एवं जनसंख्या की दृष्टि से बड़े राज्य हैं और इसलिए उनमें इस प्रणाली को लागू करना सम्भव नहीं है।

(B) अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतन्त्र (Indirect or Representative Democracy)—

आधुनिक काल में प्रायः सभी लोकतान्त्रिक राज्यों में अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतन्त्र ही पाया जाता है। इसके अन्तर्गत जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं करती है, अपितु अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है। जे.एस.मिल के अनुसार, “अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतन्त्र एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें सम्पूर्ण जनता या जनता की बहुसंख्या शासन की शक्ति या प्रयोग अपने

उन प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है, जिन्हें वह समय—समय पर चुनती है।’ अन्य विद्वानों ने भी मिल की परिभाषा से मिलती—जुलती परिभाषाएं दी हैं। इस संबंध में कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित हैं—

(अ) “लोकतन्त्र शासन का वह रूप है, जिसमें राज्य की शासन—शक्ति, कानूनी तौर पर, किसी विशेष वर्ग या वर्गों में नहीं, अपितु सम्पूर्ण समाज के सदस्यों में निहित होती है।’

—लार्ड ब्राइस

(ब) “लोकतन्त्र वह शासन व्यवस्था है, जिसमें राष्ट्र का अधिकांश भाग शासक होता है।’

—डायरसी

(स) “लोकतन्त्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का (शासन कार्य में) भाग हो।’

—सीले

(द) “लोकतन्त्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन है।’

—अब्राहम लिंकन

विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रस्तुत की गई अनेक परिभाषाओं के अध्ययन के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रजातान्त्रिक शासन—प्रणाली कुछ विशिष्ट लक्षणों से युक्त है।

लोकतन्त्र की प्रमुख विशेषताएँ :—

(1) जनता का शासन—शासन की एक प्रणाली के रूप में लोकतन्त्र सम्पूर्ण जनता का शासन होता है। ‘जनता’ का अर्थ सम्पूर्ण “जन—समूह एवं प्रत्येक व्यक्ति” से है। इस प्रकार यह किसी विशेष नरस्त भाषा, संस्कृति आदि से संबंधित वर्ग का शासन नहीं है।

(2) जनता द्वारा निर्मित शासन—लोकतन्त्र में सरकार का निर्माण जनता द्वारा किया जाता है। इसमें जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और वे प्रतिनिधि सरकार का निर्माण करते हैं।

(3) लोकतन्त्र शासन एक साधन है, साध्य नहीं—लोकतन्त्र में शासन को कभी भी साध्य नहीं माना जाता है, अपितु शासन को एक साधन माना जाता है। वास्तव में लोकतन्त्र में शासन निम्नलिखित साध्यों (लोकतान्त्रिक साध्यों) की प्राप्ति का साधन माना जाता है—(i) व्यक्ति की स्वतन्त्रता एवं गौरव की रक्षा, तथा (ii) सार्वजनिक हित की वृद्धि।

(4) जनता के प्रति उत्तरदायी शासन—लोकतन्त्र में शासन—प्रणाली ‘लोक—प्रभुत्व’ के सिद्धान्त को स्वीकारती है। अतः लोकतन्त्र में शासन अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। इसका अर्थ है कि यदि सरकार व्यक्ति की स्वतन्त्रता को छीनती है, जनमत का सम्मान नहीं करती अथवा सार्वजनिक हित में कार्य नहीं करती, तो जनता उसे बदल

सकती है।

(5) लोकतन्त्र विकासशील शासन है— आधुनिक काल तक लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली विकास की कई अवस्थाओं से गुजरी है। प्रारम्भ में यह व्यक्तिवादी लोकतन्त्र था, जो बाद में उदारवादी लोकतन्त्र में बदल गया और वर्तमान में यह लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा से सम्बन्धित हो गया है। इस विकास का परिणाम यह हुआ है कि जहाँ प्रारम्भ में लोकतन्त्र ने व्यक्ति की राजनीतिक स्वतन्त्रता व समानता तथा संवैधानिक शासन (विधि के शासन) पर ही बल दिया था, वहाँ अब यह सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में समानता व न्याय के सिद्धान्त को भी स्वीकार करने लगा है। इस प्रकार लोकतन्त्र के विकास ने उसके मूल्यात्मक स्तर में वृद्धि की है।

आधुनिक विश्व में प्रतिनिधि प्रजातन्त्र के दो प्रमुख रूप हैं— संसदात्मक शासन तथा अध्यक्षात्मक शासन। प्रथम का आदर्श उदाहरण ब्रिटेन की शासन—प्रणाली और द्वितीय का आदर्श उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका की शासन—प्रणाली है। स्विट्जरलैण्ड एक ऐसा देश है जिसमें संघीय स्तर पर संसदात्मक व अध्यक्षात्मक शासन—प्रणालियों के मिश्रित रूप को अपनाया गया है।

4. लोकतन्त्र का आलोचनात्मक परीक्षण

(Critical Examination of Democracy)

एक ओर बर्क जैसे विद्वानों ने पूर्ण लोकतन्त्र को 'लज्जाहीन' धारणा माना है, तो दूसरी ओर लॉवेल जैसे विद्वानों ने इसे सर्वश्रेष्ठ शासन माना है। अतः निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए जरूरी है कि हम इसके गुण व दोषों का अध्ययन करें।

(5) लोकतन्त्र के गुण (Merits of democracy)-

लोकतन्त्र के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं—

(1) सार्वजनिक हित में वृद्धि –

प्र जातान्त्रिक शासन का संचालन जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। वे सार्वजनिक हित में वृद्धि करने के बायदे के आधार पर चुनाव जीतते हैं और उन्हें भविष्य में पुनः चुनाव लड़ना होता है। अतः ये जन—प्रतिनिधि सार्वजनिक हित में शासन करते हैं। लोकतन्त्र में शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है।

(2) कार्य—कुशल शासन –

लोकतन्त्र को सबसे अधिक कार्यकुशल शासन—प्रणाली माना जाता है। लोकतन्त्र की कार्य—कुशलता के अनेक कारण हैं, जैसे—इस शासन में नीतियाँ जनमत के अनुसार बनायी जाती हैं। अतः इनको लागू करने में

जन—सहयोग मिलता है। लोकतन्त्र शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। अतः यह शासन की कार्य—कुशलता को बनाये रखने की कोशिश करता है।

(3) सार्वजनिक शिक्षा का साधन—

लोकतान्त्रिक शासन में जनता सार्वजनिक समस्याओं पर अपनी राय प्रकट करती है। सामान्य जनता जनमत निर्माण के साधनों तथा आम—चुनावों के माध्यम से विभिन्न समस्याओं पर अपना मत प्रकट करती है। सामान्य नागरिक अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहता है और बड़े हितों के लिए छोटे हितों का त्याग करना सीख जाता है। इस गुण के कारण ही गैटेल ने लोकतन्त्र को नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला स्कूल कहा है।

(4) नैतिक शिक्षा का साधन –

लोकतन्त्र शासन व्यक्ति को नैतिक शिक्षा भी प्रदान करता है। लॉवेल के अनुसार लोकतन्त्र व्यक्ति की नैतिकता व पवित्रता की भावना को मजबूत करता है। ब्राइस के अनुसार जब लोकतन्त्र में व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार मिलते हैं, तो उसके व्यक्तित्व का विकास होता है और वह कर्तव्य—प्रिय हो जाता है। व्यवहार में हम देखते हैं कि लोकतन्त्र में व्यक्ति परिवार की संकीर्ण सीमाओं से निकलकर सार्वजनिक हित तक विस्तृत हो जाता है और वह साथी नागरिकों के साथ सहयोग, सहिष्णुता, उदारता व सहानुभूति का व्यवहार करने लगता है।

(5) देश—भवित की शिक्षा—

लोकतन्त्र राष्ट्र—प्रेम की भावना का भी विकास करता है। लोकतन्त्र में राज्य को किसी शासक वर्ग की सम्पत्ति नहीं माना जाता, अपितु इसे जनता की सम्पत्ति माना जाता है। इससे जनता में राष्ट्र के प्रति प्रेम व अपनत्व की भावना का विकास होता है। मिल के शब्दों में, 'लोकतन्त्र देशभवित की भावना को बढ़ाता है।'

(6) क्रान्ति से सुरक्षा –

क्रान्ति की आशंका ऐसे राज्यों में होती है जहाँ शासन की शक्ति किसी एक वर्ग के हाथों में होती है। लोकतन्त्र में रिथति इससे एकदम विपरीत होती है। इसमें क्रान्ति की आवश्यकता नहीं होती है। लोकतन्त्र में शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकतन्त्र में सभी पक्षों को अपनी बात कहने तथा चुनाव लड़ने का हक होता है। साथ ही किसी विषय पर सरकार से असहमति होने पर अगले चुनाव में उसके विरुद्ध मत देने की स्वतंत्रता भी क्रान्ति की संभावना कम करती है।

(7) समानता और स्वतन्त्रता पर आधारित शासन—

लोकतन्त्र व्यक्ति की समता व स्वतन्त्रता की धारणा को स्वीकार करता है। यह व्यक्तियों में जाति, धर्म, भाषा, लिंग, आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करता है, अपितु सभी व्यक्तियों

के लिए विधि की समानता तथा विधि के समान संरक्षण में विश्वास करता है।

(8) स्वतन्त्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना—

लोकतन्त्र में स्वतन्त्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की जाती है, जो व्यक्ति को कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के अत्याचार से बचाती है और व्यक्ति की स्वतन्त्रता की रक्षा करती है। ऐसी न्यायपालिका व्यक्ति को शासन की अनुचित नीतियों का विरोध करने का साहस देती है और शासन से उसकी संवैधानिक मर्यादाओं का पालन कराती है।

(9) कला, साहित्य, संस्कृति व विज्ञान की प्रगति में सहायक—

लोकतन्त्र कला, साहित्य, संस्कृति व विज्ञान पर किसी प्रकार का अनुचित नियंत्रण नहीं करता है, अपितु इनका विकास चाहता है। लोकतन्त्र की तुलना में अधिनायकवाद में इन सभी क्षेत्रों पर नियंत्रण होता है, क्योंकि वहाँ विचार एवं कर्म की स्वतन्त्रता नहीं होती है। अतः अधिनायकतन्त्रों में कला, साहित्य व संस्कृति के क्षेत्र में पर्याप्त विकास नहीं होता है और विज्ञान के विकास में भी बाधा आती है।

(10) संविधानवाद में आस्था—

लोकतन्त्र संविधानवाद में आस्था रखता है। इसका अर्थ है कि लोकतन्त्र व्यक्ति के स्वेच्छाचारी शासन के स्थान पर विधि के शासन में विश्वास करता है और वह ऐसी विधि को स्वीकार करता है जो व्यक्ति की स्वतन्त्रता को स्वीकारता हो। इसका सरल अर्थ है कि लोकतन्त्र निरंकुश शासन की जगह 'सीमित शासन' में विश्वास रखता है और शक्ति के विकेन्द्रीकरण को स्वीकार करता है।

(11) शक्तिशाली शासन व्यवस्था—

लोकतन्त्र व्यक्ति में राष्ट्र-प्रेम पैदा करता है और यह जन-सहमति पर आधारित शासन है, अतः जब भी राष्ट्र पर संकट आता है तो सम्पूर्ण जनता एक व्यक्ति के रूप में संकट के विरुद्ध खड़ी हो जाती है।

(12) विश्व-शान्ति का समर्थक—

राजतन्त्र, कुलीनतन्त्र तथा अधिनायकतन्त्र का इतिहास बताता है कि इन शासन-प्रणालियों ने समय-समय पर विश्व की शान्ति को खतरा उत्पन्न किया है। इसका कारण यह है कि ये शासन प्रणालियाँ सैनिकवाद, कठोर विदेश नीति तथा विस्तारवाद में विश्वास रखती हैं। किन्तु लोकतन्त्र विश्व-शान्ति व सहयोग में आस्था रखता है। इसका कारण यह है कि लोकतन्त्र सैनिकवाद की जगह शान्तिपूर्ण सह-अरितत्व में विश्वास रखता है और राष्ट्रों के बीच विवादों को पारस्परिक वार्ता एवं समझौतों द्वारा तथा अन्तरराष्ट्रीय कानून द्वारा सुलझाना चाहता है।

लोकतन्त्र के दोष (Demerits of democracy)—

लोकतन्त्र में निम्नलिखित दोष हैं, जिन्हें हम उसके विषय में तर्क भी कह सकते हैं—

(1) लोकतन्त्र की व्यक्ति सम्बन्धी धारणा भ्रमपूर्ण —

लोकतन्त्र व्यक्ति को बुद्धि व विवेक सम्पन्न मानता है। अतः उसे मताधिकार देता है और मानता है कि वह राजनीतिक मामलों में परिपक्व निर्णय देने में समर्थ होगा, किन्तु आलोचकों का मत है कि व्यक्ति मूलतः ऐसा अबौद्धिक प्राणी है, जो अपने मूल संवेगों व आवेगों से चालित होता है और इसलिए व्यक्तियों को जब मताधिकार दे दिया जाता है तो हमें व्यवहार में लोकतन्त्र की जगह भीड़तन्त्र मिलता है।

(2) बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता —

लोकतन्त्र में बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता होती है। इस व्यवस्था में यह माना जाता है कि गुणों की अपेक्षा संख्या को अधिक महत्व दिया जाता है। इस कारण से समाज में बुद्धिजीवी वर्ग इस व्यवस्था में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते हैं।

(3) शैक्षणिक महत्व का दावा भ्रमपूर्ण —

लोकतन्त्र के बारे में यह दावा पूरी तरह से भ्रमपूर्ण है कि यह व्यक्ति को नागरिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा तथा राष्ट्र-प्रेम की शिक्षा देता है। वास्तविक स्थिति इससे कदम भिन्न है। लोकतन्त्र में राजनीतिक दल प्रत्येक राष्ट्रीय समस्या पर अपने स्वार्थ की दृष्टि से विचार करते हैं और उसे ही राष्ट्रीय हित बताकर प्रचार करते हैं। वे एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाते हैं और जनता के विभिन्न वर्गों को अपने प्रभाव में लाने के लिए उसकी भावना को भड़काते रहते हैं।

(4) लोकतन्त्रिक स्वतन्त्रता व समानता भ्रमपूर्ण है—

लोकतन्त्र व्यक्तियों को राजनीतिक स्वतन्त्रता व समानता प्रदान करता है, किन्तु यह व्यक्तियों को आर्थिक स्वतन्त्रता व समानता प्रदान नहीं करता है। आर्थिक स्वतन्त्रता व समानता के अभाव में व्यक्ति की राजनीतिक स्वतन्त्रता व समानता भी अर्थहीन हो जाती है। लोकतन्त्र में चुनावों में धनिक खड़े होते हैं और वे अपने धन की शक्ति व प्रभाव के द्वारा चुने जाते हैं। जब व्यवस्थापिका के अधिकांश व्यक्ति धनवान होते हैं तो वे कानून भी ऐसे ही बनाते हैं जो धनिक वर्ग के हित में होते हैं। इस प्रकार आर्थिक असमानता के कारण लोकतन्त्र में गरीब वर्ग की राजनीतिक स्वतन्त्रता व समानता भी लगभग अर्थहीन हो जाती है।

(5) राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव —

लोकतन्त्र के संचालन के लिए राजनीतिक दल परम आवश्यक माने जाते हैं, किन्तु राजनीतिक दल-प्रणाली में अनेक दोष भी होते हैं और इनके कारण लोकतन्त्र में विकार आता है। सिद्धान्त रूप में सभी राजनीतिक दलों का निर्माण राष्ट्रीय हित

में होता है और वे जनता के उत्थान के लिए विभिन्न सामाजिक व आर्थिक नीतियों व कार्यक्रमों का प्रचार करते हैं, किन्तु व्यवहार में सभी राजनीतिक दल राष्ट्र-भवित की जगह दल-भवित को महत्व देते हैं।

(6) अनुत्तरदायी शासन—प्रणाली –

सिद्धान्त रूप में लोकतन्त्र को जनता के प्रति उत्तरदायी शासन बताया जाता है, किन्तु व्यवहार रूप में लोकतन्त्र अनुत्तरदायी दिखायी पड़ता है। लोकतन्त्र शासन में असफलताओं की जिम्मेदारी कोई भी पक्ष अपने ऊपर नहीं लेता है। जब भी कोई बड़ी असफलता मिलती है तो सरकार विरोधी दल के आन्दोलनों एवं अड़ंगा डालने की नीति को असफलता के लिए उत्तरदायी बताती है, किन्तु विरोधी दल असफलताओं के लिए स्वयं सरकार की नीतियों को दोषी बताते हैं।

(7) सार्वजनिक धन व समय का अपव्यय –

लोकतन्त्र में नीतियों के निर्धारण में तथा कानून के निर्माण में अत्यधिक धन व्यय होता है और समय की भी बर्बादी होती है। सभी कार्य विभिन्न समितियों के द्वारा तथा व्यवस्थापिका की लम्बी—चौड़ी बहस द्वारा किये जाते हैं। लोकतन्त्र की यह प्रक्रिया समय व धन की दृष्टि से अत्यधिक खर्चीली होती है। इसी प्रकार आम चुनावों में भी राष्ट्रीय धन व समय की बहुत हानि होती है। गरीब देशों के लिए लोकतन्त्र एक ओर तो धन की दृष्टि से बहुत खर्चीली प्रणाली है और दूसरी ओर इसमें विकास की गति भी बहुत धीमी है।

(8) उदासीन मतदाता –

लोकतन्त्र जनता का शासन कहलाता है, किन्तु लोकतन्त्र में होने वाले चुनावों में मतदाता पर्याप्त रुचि नहीं रखते हैं। राजनीतिक दलों तथा उनके उम्मीदवारों के अत्यधिक प्रयत्नों के बावजूद मतदान में 50 से 60 प्रतिशत के बीच में मतदाता भाग लेते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि लोकतन्त्र के दोषों के कारण स्वयं जनता इस शासन—प्रणाली को अपना नहीं मानती है। इसके अलावा जब सभी मतदाता मतदान नहीं करते हैं, तो प्रायः कम योग्य तथा अवसरवादी प्रकृति के प्रतिनिधि भी चुन लिए जाते हैं।

(9) संकटकाल की दृष्टि से कमजोर शासन –

युद्ध अथवा अन्य प्रकार के संकटों की स्थिति में लोकतन्त्र शासन कमजोर सिद्ध होता है, क्योंकि इसमें सत्ता विकेन्द्रित होती है। इस प्रणाली में शीघ्र व गुप्त निर्णय संभव नहीं होते हैं। द्वितीय विश्व—युद्ध में ब्रिटेन के अलावा सभी यूरोपीय लोकतान्त्रिक देश नाजी जर्मनी के सामने और द्वितीय विश्व—युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के लोकतान्त्रिक राज्य साम्यवादी सोवियत संघ के सामने कमजोर सिद्ध हुए।

(10) लोकतन्त्र विश्व—शान्ति का समर्थक नहीं –

साम्यवादी आलोचकों का मत है कि लोकतान्त्रिक राज्य पूँजीवादी राज्य होते हैं। पूँजीवाद युद्ध एवं साम्राज्यवाद को जन्म देता है, अतः लोकतान्त्रिक राज्यों को विश्व—शान्ति का समर्थक नहीं माना जा सकता है। ब्रिटेन, फ्रांस आदि यूरोप के लोकतान्त्रिक राज्यों ने युद्ध एवं साम्राज्यवाद की नीति को अपनाया था। यद्यपि वर्तमान में यूरोप के समृद्ध लोकतान्त्रिक राज्य युद्ध एवं राजनीतिक साम्राज्यवाद के विरोधी दीख पड़ रहे हैं, किन्तु उनकी नीतियाँ एक नये प्रकार के आर्थिक साम्राज्यवाद को जन्म दे रही हैं, जिसे हम नव—उपनिवेशवाद कहते हैं। वे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों तथा अन्तरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं की मदद से अफ्रीका व एशिया की अर्थव्यवस्था को अपने हित में प्रभावित कर रहे हैं। साम्यवादी विचारकों का मत है कि आधुनिक काल में भी लोकतन्त्र और पूँजीवाद की सँठ—गँठ है और यह विश्व—शान्ति के लिए खतरा है।

5. लोकतन्त्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ

(Essential Conditions for the Success of Democracy)

कोई भी शासन—प्रणाली विशिष्ट परिस्थितियों में ही सफलापूर्वक कार्य कर सकती है और प्रतिकूल परिस्थितियाँ होने पर उसका पतन हो जाता है। यह बात लोकतान्त्रिक शासन—प्रणाली के बारे में भी सत्य है। प्रथम विश्व—युद्ध के बाद यूरोप के अनेक राज्यों में लोकतन्त्र की स्थापना की गयी, किन्तु अनुकूल परिस्थितियों के अभाव में लोकतान्त्रिक शासन—प्रणाली असफल हो गयी और इसका स्थान अधिनायकवाद ने ले लिया। वर्तमान एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमरीका महाद्वीपों में भी अनेक देशों में लोकतन्त्र—शासन का पतन हुआ है, क्योंकि इन देशों में लोकतन्त्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तों या परिस्थितियों का अभाव रहा है।

विद्वानों का मत है कि निम्नलिखित परिस्थितियाँ लोकतन्त्र के सफल संचालन में सहायक हो सकती हैं—

(1) शान्ति तथा व्यवस्था –

लोकतन्त्र की सफलता के लिए जरूरी है कि देश में आन्तरिक व्यवस्था सामान्य हो और युद्ध या बाहरी आक्रमण का भय नहीं हो। ऐसी स्थिति में सत्ता का विकेन्द्रीकरण बना रहता है और व्यक्ति अपनी स्वतन्त्रता का उपभोग करते हैं। किन्तु जब देश में राजनीतिक स्थिरता व व्यवस्था को चुनौती देने वाले आन्दोलन चलते हैं अथवा बाहरी आक्रमण होता है, तो सरकार राष्ट्र की अखण्डता तथा सुरक्षा के लिए सत्ता का केन्द्रीयकरण करती है और व्यक्ति की स्वतन्त्रता तक पर पाबन्दियाँ लगाती है। इस स्थिति में लोकतन्त्र दम तोड़ने लगता है और

अधिनायकतन्त्र की स्थापना का मार्ग खुल जाता है। अतः लोकतन्त्र में शांति व्यवस्था आवश्यक है।

(2) सूदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था –

लोकतन्त्र की सफलता के लिए यह जरूरी है कि राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था पर्याप्त मजबूत हो। यदि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था औद्योगिक संकट से गुजर रही होती है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था लड़खड़ा जाती है। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद जर्मनी व इटली में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लड़खड़ाने के बाद ही इन देशों में लोकतन्त्र का अन्त हुआ और तानाशाही की स्थापना हुयी। इसी प्रकार द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप में आर्थिक अव्यवस्था के कारण वहाँ के देशों में लोकतन्त्र का अन्त हुआ और साम्यवादी शासन की स्थापना हुयी। आधुनिक काल में भी लैटिन अमरीका के राज्यों में लोकतन्त्र की असफलता का एक बड़ा कारण आर्थिक अव्यवस्था है। अनेक अफ्रो-एशियाई राज्य भी ऐसे ही संकट से गुजर रहे हैं।

(3) आर्थिक समानता की स्थापना –

लोकतन्त्र के सफल संचालन के लिए केवल इतना ही जरूरी नहीं है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था शक्तिशाली हो, अपितु यह भी जरूरी है कि राज्य में यथासंभव आर्थिक समानता हो अर्थात् गरीबी व अमीरी के बीच चौड़ी खाई न हो। यह तब ही सम्भव है जब देश में बड़ी मात्रा में मध्यवर्ग मौजूद हो। इस स्थिति में ही लोकतन्त्र को कमजोर करने वाले वर्गसंघर्ष से बचा जा सकता है।

(4) सामाजिक न्याय की स्थापना –

लोकतन्त्र की सफलता के लिए जरूरी है कि व्यक्तियों के बीच धर्म, जाति, भाषा, रंग, नस्ल, लिंग, जन्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाये। सभी व्यक्ति कानून के सामने समान माने जायें और उन्हें न्यायालय समान कानूनी संरक्षण दें। इस प्रकार जब समाज में सभी व्यक्तियों को समान स्थिति प्राप्त होती है, तो उनके बीच भावनात्मक एकता भी स्थापित होती है और सामाजिक लोकतन्त्र की स्थापना होती है।

(5) शिक्षित व जागरूक जनता –

लोकतन्त्र की सफलता के लिए जनता का शिक्षित एवं जागरूक होना आवश्यक है। शिक्षित जनता ही लोकतन्त्र की समस्याओं को तथा इसकी प्रक्रिया को समझने में समर्थ होती है और स्वस्थ जनत का निर्माण कर सकती है। इसके अलावा जब जनता जागरूक होती है तो सरकार की लोकतन्त्रविरोधी नीतियों एवं कार्यों का विरोध करने में भी समर्थ होती है।

(6) जनमत का निर्माण –

लोकतन्त्र की सफलता के लिए जनमतनिर्माण के साधनों की स्वतन्त्रता भी आवश्यक है। इसका अर्थ है कि प्रेस, साहित्य, रेडियो, सिनेमा, दूरदर्शन आदि पर सरकारी नियन्त्रण

नहीं होना चाहिए। जब जनमत निर्माण के साधन स्वतन्त्र होते हैं तब नागरिक संगठित रूप से और शान्तिपूर्ण ढंग से सरकार की लोकतन्त्र विरोधी नीतियों व कार्यों की आलोचना करने में सफल होते हैं, जिसमें लोकतांत्रिक मर्यादा बनी रहती है। इस स्थिति में लोकतन्त्र सफलतापूर्वक कार्य करता है।

(7) नागरिक, नैतिक व राष्ट्रीय चरित्र –

जब किसी समाज में नागरिक, नैतिक व राष्ट्रीय चरित्र श्रेष्ठ होता है, तो वहाँ लोकतन्त्र की सफलता की बहुत उम्मीद होती है। ऐसे समाज में व्यक्ति अपने अधिकारों व कर्तव्यों का उचित प्रयोग करते हैं। वे सार्वजनिक समस्याओं पर लोकहित की दृष्टि से विचार करते हैं और साथी नागरिकों के प्रति सहिष्णुता, उदारता, सहानुभूति, सेवा, प्रेम, आदि का व्यवहार करते हैं और अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं। वस्तुतः लोकतन्त्र अन्तिम दृष्टि से जनता की शक्ति पर निर्भर करता है और जब जनता का नागरिक, नैतिक व राष्ट्रीय चरित्र सृदृढ़ होता है तो लोकतन्त्र भी सफल होता है।

(8) सत्ता का विकेन्द्रीकरण तथा स्थानीय स्वशासन—

अधिनायकतन्त्र का आधार है सत्ता का केन्द्रीकरण और लोकतन्त्र का आधार है सत्ता का विकेन्द्रीकरण। सत्ता का विकेन्द्रीकरण होने पर ही जनता के विभिन्न वर्ग शासन के कार्यों में भाग लेते हैं और लोकतन्त्र को सफल बनाते हैं। लोकतन्त्र में विकेन्द्रीकरण का एक अच्छा रूप स्थानीय स्वशासन है। स्थानीय स्वशासन के माध्यम से ही सामान्य व्यक्ति शासन—कार्यों में रुचिपूर्वक भाग लेता है और उसे सही मायने में नागरिकता की शिक्षा प्राप्त होती है।

(9) नागरिक स्वतन्त्रताएं—

लोकतन्त्र 'सीमित शासन' के सिद्धान्त को मानता है जिसका अर्थ है कि संविधान द्वारा नागरिकों को मौलिक स्वतन्त्रताएं प्रदान की जानी चाहिए और इन स्वतन्त्रताओं की रक्षा का प्रबन्ध भी किया जाना चाहिए। नागरिक स्वतन्त्रताओं का अर्थ है कि नागरिकों को विचार प्रकट करने की, संगठन बनाने की, सभा करने की तथा शान्तिपूर्ण आन्दोलन करने की स्वतन्त्रतायें प्राप्त होनी चाहिए। मौलिक स्वतन्त्रताओं का निष्कर्ष है कि नागरिकों को सरकार की उन सब नीतियों एवं कार्यों की शान्तिपूर्ण आलोचना करने का अधिकार होना चाहिए, जिन्हें वे लोकतन्त्र एवं सामान्य हित के विरुद्ध समझते हैं। यह स्पष्ट ही है कि नागरिक मौलिक स्वतन्त्रताओं के प्रयोग के लिए जनमत—निर्माण के साधनों का स्वतन्त्र होना भी जरूरी है।

(10) लिखित संविधान तथा लोकतांत्रिक परम्पराएं—

लिखित संविधान का अर्थ है कि संविधान की भाषा बहुत स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि उसकी व्याख्या को लेकर विवाद एवं भ्रम उत्पन्न नहीं हों। इसके अलावा संविधान में संशोधन की

पद्धति कठोर होनी चाहिए ताकि कोई राजनीतिक दल अपने बहुमत का लाभ उठाकर लोकतन्त्र को अधिनायकतन्त्र में नहीं बदल ले, जैसा कि जर्मनी में हिटलर ने किया था। लोकतांत्रिक परम्पराओं से आशय आचरण के उन नियमों व व्यवस्थाओं से है, जिनका वर्णन संविधान या कहीं और भले ही लिखित रूप में नहीं होता, पर वह लोकतांत्रिक पद्धति व प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाली होती है और जिन पर लगभग सर्वदलीय सहमति बन जाती है।

(11) स्वतन्त्र व शक्तिशाली न्यायपालिका –

लोकतन्त्र का आधार संविधानवाद है, जिसका अर्थ है कि लोकतन्त्र में सरकार को निरंकुश सत्ता प्राप्त नहीं होती है, अपितु उसे अनिवार्य रूप से संवैधानिक मर्यादाओं व सीमाओं को स्वीकारना होता है। लोकतन्त्र की सफलता के लिए एक शक्तिशाली व स्वतन्त्र न्यायपालिका की स्थापना जरूरी होती है, क्योंकि ऐसी न्यायपालिका ही कार्यपालिका को कानून का उल्लंघन करने व अत्याचारी बनने से रोकती है और व्यवस्थापिका द्वारा बनाये गये असंवैधानिक कानूनों को अवैध घोषित करती है। ऐसी न्यायपालिका नागरिकों की स्वतन्त्रता की भी रक्षा करती है।

(12) योग्य व निष्पक्ष कर्मचारी तन्त्र –

लोकतन्त्र में जन-प्रतिनिधियों द्वारा बनायी गयी नीतियों को कर्मचारी तन्त्र ही लागू करता है। लोकतन्त्र की सफलता के लिए यह जरूरी है कि कर्मचारी तन्त्र न केवल प्रशासनिक दृष्टि से अपने कार्य में कुशल होना चाहिए, अपितु उसे आम जनता के लिए सेवाभावी भी होना चाहिए। उसे सदैव दलगत राजनीति में तटस्थ एवं निष्पक्ष रहना चाहिए।

(13) स्वस्थ व सुसंचित दलीय व्यवस्था –

लोकतन्त्र व्यवहार में दलीय शासन-प्रणाली है, अतः लोकतन्त्र की सफलता राजनीतिक दलों की नीतियों, कार्यक्रमों एवं निष्ठा पर निर्भर करती है। लोकतन्त्र की सफलता के लिए जरूरी है कि राजनीतिक दलों का निर्माण स्वस्थ आधार पर हो। उनका संगठन क्षेत्रीय, भाषायी अथवा साम्प्रदायिक आधार पर नहीं होना चाहिए, अपितु राष्ट्रीय आधार पर होना चाहिए। इसका अर्थ है कि राजनीतिक दलों का निर्माण राष्ट्रीय स्तर की आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं को लेकर होना चाहिए। इसके अलावा राजनीतिक दलों के संचालन में आन्तरिक लोकतन्त्र होना चाहिए। समय-समय पर दलों में आन्तरिक चुनाव होने चाहिए। उन्हें अनुशासनहीन व दल-बदलुओं को अपना सदस्य नहीं बनाना चाहिए।

(14) योग्य तथा निष्ठावान राजनेता— लोकतन्त्र की सफलता के लिए योग्य, बुद्धिमान तथा लोकतन्त्र में निष्ठा वाले राजनीतिज्ञों का होना बहुत जरूरी है। ऐसे राजनीतिज्ञ ही राष्ट्रीय समस्याओं का शान्तिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक हल ढूँढ़ने में

समर्थ होते हैं। यदि राजनीतिज्ञ भ्रष्ट, अवसरवादी, झूठे, सत्ता के लोभी, समर्थकों को अनुचित लाभ पहुँचाने वाले तथा कुत्सित भावनाओं को भड़काने वाले होते हैं तो वे लोकतन्त्र को भीड़तन्त्र में बदल देते हैं और देश के सामने नेतृत्व का संकट पैदा हो जाता है।

(15) सार्वजनिक हित की राष्ट्रीय योजनाएं—

विकासशील देशों में लोकतन्त्र की सफलता के लिए जरूरी है कि शासन द्वारा ऐसी राष्ट्रीय योजनायें बनायी जायें जो एक ओर कृषि व उद्योगों के सन्तुलित विकास में सहायक हों, राष्ट्रीय आय की वृद्धि करती हों तथा समाज के श्रमिक वर्ग व कमजोर वर्ग के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने में सहायक हों।

(16) आधारभूत मामलों में राष्ट्रीय सहमति—

लोकतन्त्र की सफलता के लिए यह अत्यन्त जरूरी है कि आधारभूत मामलों पर समाज के बहुसंख्यक व अल्पसंख्यक वर्गों तथा राजनीतिक दलों में सहमति हो।

महत्वपूर्ण बिन्दु

1. लोकतन्त्र शब्द का अर्थ डेमोस+क्रेटिया (Demos + Kratia) = 'जनता की शक्ति' अर्थात् 'जनता का शासन'। आधुनिक युग में लोकतन्त्र उदारवादी बौद्धिक आन्दोलन की देन है। वर्तमान में उदारवादी लोकतन्त्र अत्यन्त लोकप्रिय है और इसके व्यापक अर्थ को निम्नलिखित रूप में प्रकट किया जा सकता है।—
 - (1) यह निर्णय लेने की एक विधि है,
 - (2) यह निर्णय लेने के सिद्धान्तों का एक समूह है, तथा
 - (3) यह आदर्शात्मक मूल्यों से सम्बन्धित अवधारणा है।
2. "लोकतन्त्र एक ऐसा शब्द है जिसके अनेक अर्थ हैं।"— बन्सर्स।
3. लोकतन्त्र के चार प्रमुख रूप हैं—
 - (अ) राजनीतिक लोकतन्त्र— राजनीतिक लोकतन्त्र के दो रूप हैं— (1) राज्य के रूप में लोकतन्त्र (2) शासन के रूप में लोकतन्त्र।

लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा प्रभुसत्ता का निवास जनता में मानती है।
4. लोकतांत्रिक राज्य का व्यावहारिक रूप लोकतांत्रिक शासन है। लोकतांत्रिक शासन के दो प्रकार हैं—
 - (1) प्रत्यक्ष लोकतन्त्र
 - (2) अप्रत्यक्ष (प्रतिनिधि) लोकतन्त्र।

अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र के दो रूप प्रचलित हैं—

 - (1) संसदीय लोकतन्त्र

- (2) अध्यक्षात्मक लोकतन्त्र।
5. राजनीतिक लोकतन्त्र की आधारभूत विशेषताएँ हैं—
 (1) यह उदारवादी संविधान में विश्वास करता है,
 (2) यह लोक-प्रभुत्व में विश्वास करता है,
 (3) इसका सैद्धान्तिक पक्ष है लोकतान्त्रिक राज्य और व्यावहारिक पक्ष है लोकतान्त्रिक शासन,
 (4) यह साधन है, साध्य नहीं।
 (5) यह विकासशील अवधारणा है।
6. (ब) सामाजिक लोकतन्त्र की विशेषताएँ हैं—
 (1) सामाजिक समानता,
 (2) सभी को सामाजिक प्रगति के समान अवसर।
 (3) राजनीतिक लोकतन्त्र का अनुपूरक होना।
7. (स) आर्थिक लोकतन्त्र— इसके तीन उप-प्रकार एवं अर्थ हैं—
 (1) व्यक्तिवादी आर्थिक लोकतन्त्र जो शुद्ध पूँजीवादी लोकतन्त्र होता है,
 (2) मार्क्सवादी आर्थिक लोकतन्त्र, जो पूँजीवादी लोकतन्त्र से एकदम विपरीत आर्थिक समतावादी तन्त्र है।
 (3) उदारवादी आर्थिक लोकतन्त्र, जो लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा में विश्वास करता है।
8. (द) नैतिक लोकतन्त्र— इसके प्रमुख लक्षण एवं विशेषताएँ हैं— (1) नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों पर बल,
 (2) व्यक्ति की गरिमा में विश्वास,
 (3) स्वतन्त्रता, समानता एवं भाई-चारे की भावना पर बल,
 (4) अपनी प्रकृति से अन्तर्राष्ट्रवादी विचारधारा में विश्वास।

अभ्यास प्रश्न

लघुत्तरात्मक प्रश्न—

- 'Democracy' शब्द ग्रीक भाषा के किन शब्दों के संयोग से बना है और उसका प्रचलित व स्वीकृत अर्थ क्या है?
- लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली के दो प्रमुख भेद कौन से हैं?
- उदारवादी प्रतिनिधि (अप्रत्यक्ष) लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली के दो प्रमुख प्रकार कौन से हैं?
- लोकतन्त्र के एक रूप 'सामाजिक लोकतन्त्र' का क्या अर्थ है?
- लोकतन्त्र के एक रूप 'नैतिक लोकतन्त्र' से आप क्या समझते हैं?

- लोकतन्त्र के बहुलवादी सिद्धान्त एवं दृष्टिकोण की आलोचना के दो तर्क दीजिए।
- लोकतन्त्र के विशिष्ट (अभिजन) वर्गीय सिद्धान्त के लोकतान्त्रिक होने के बारे में क्यों संदेह किया जाता है ?
- लोकतान्त्रिक शासन के किन्हीं तीन गुणों को इंगित कीजिए।
- लोकतान्त्रिक शासन के किन्हीं तीन अवगुणों को इंगित कीजिए।
- लोकतन्त्र के सफल संचालन के लिए आवश्यक तीन शर्तों (परिस्थितियों) का उल्लेख कीजिए।
- भारत में लोकतन्त्र के संचालन के मार्ग की तीन प्रमुख बाधाओं को इंगित कीजिए।
- ऐसे तीन तथ्यात्मक तर्क दीजिए जो भारत के लोकतन्त्र के उज्ज्वल भविष्य को प्रकट करते हों।

निबन्धात्मक प्रश्न—

- लोकतन्त्र से आप क्या समझते हैं ? इसके विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए।
- 'लोकतन्त्र' को शासन का एक रूप, सामाजिक संगठन का एक सिद्धान्त तथा जीवन की एक पद्धति माना जाता है। क्यों?
- लोकतान्त्रिक शासन से आप क्या समझते हैं ? इसका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र का अन्तर स्पष्ट कीजिए।
- अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र के गुण—दोषों की विवेचना कीजिए।
- लोकतन्त्र के कुल कितने प्रमुख सिद्धान्त एवं दृष्टिकोण हैं? इनमें से लोकतन्त्र के उदारवादी, मार्क्सवादी एवं समाजवादी सिद्धान्तों का संक्षिप्त विवरण दीजिए।
- निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिये—
 (अ) उदारवादी प्रतिनिधि लोकतन्त्र के प्रमुख लक्षण।
 (ब) लोकतन्त्र अयोग्यता का शासन है।
 (स) लोकतन्त्र शासन का सबसे अच्छा रूप है, क्योंकि व्यक्ति को इससे श्रेष्ठ शासन का अभी भी ज्ञान नहीं है।
 (द) लोकतन्त्र के दोषों के अन्त के लिए प्रमुख सुझाव दीजिए।